

रत का र जपश

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग [[—खण्ड ३—३प-खण्ड (ii) PART II Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

1445 No. 1445]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2008/आश्विन 23, 1930 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2008/ASVINA 23, 1930

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2008

का,आ. 2454(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 के साथ पठित धारा 2 की उप-धारा (सीए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, सचिष (शिक्षा), पुडुचेरी सरकार की पुंडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विद्यालय के स्तर के शिक्षण संस्थानों के संबंध में 'सक्षम प्राधिकारी' के रूप में और प्रशासक, पूडुचेरी की उच्चतर स्तर को शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में, अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद का कोई उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के प्रति अनापति प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए 'सक्षम प्राधिकारी ' के रूप में नियुक्त करती है।

> [सं य-11030/3/2006-यूदीएल] बी. मामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2008

S.O. 2454(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (ca) of Section 2 read with Section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby appoints the Secretary (Education), Government of Puducherry as 'Competent Authority' in respect of school level educational Institutions and the Administrator, Puducherry as Competent Authority' in respect of higher level educational Institutions for the Union Territory of Puducherry to grant no objection certificate for the establishment of any educational institution of their choice by the minorities.

[No. U-11030/3/2006-UTL] B. BHAMATHI, Jt. Secy.